



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251158
CG-DL-E-04012024-251158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 61]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2024

का.आ. 66(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (4छ) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनिवासी द्वारा वित्तीय उत्पाद में विनिधान के क्रियाकलाप को पूंजी बाजार मध्यवर्ती द्वारा ऐसे अनिवासी के साथ की गई संविदा के अनुसार अधिसूचित करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई है, जहां धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतट बैंककारी इकाई में अनुरक्षित अनिवासी के खाते में ऐसे विनिधान की आय प्राप्त की जाती है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) “पूंजी बाजार मध्यवर्ती” का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (छक) में इसका है ;

- (ii) “वित्तीय उत्पाद” का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में इसका है ;
- (iii) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में इसका है ;
- (iv) “इकाई” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में इसका है ।

[अधिसूचना सं. 4/2024 फा. सं. 370142/48/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव [टीपीएल-I]